

भारत में ब्रिटिश काल के अंतर्गत शिक्षा नीति

प्रेयसी

शोध अध्येत्री- इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) भारत

Received- 21.09.2019, Revised- 25.09.2019, Accepted - 29.09.2019 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ब्रिटिशकालीन भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत 1781 ई. में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना से हुआ। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। इसके उपरांत जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य हिन्दू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। 1800 ई. में लार्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जहाँ अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा विभिन्न भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी।

कुंजी शब्द – मदरसा, मुस्लिम कानून, हिन्दू विधि, दर्शन का अध्ययन, रीति-रिवाजों, धर्मनिरपेक्ष, प्रशासन।

इन सब कॉलेजों में शिक्षा की पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराये जा सकें जो शास्त्रीय व अन्य स्थानीय भाषा के ज्ञाता हो तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन में उसे मदद कर सकें। यह वही समय था जब प्रबुद्ध भारतीयों एवं मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि जो प्रबुद्ध भारतीय थे उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है वहीं मिशनरियों की सोच थी कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार वे भारतीयों को अनेक परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगा और भारतीय हिन्दू धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे।

शिक्षण संस्थाओं की स्थापना – सर्वप्रथम 1781 ई. में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खुलवाया। 1784 ई. में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल' की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया।

लार्ड वेलेजली ने 1800 ई. में गैर-सैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु 'फोर्ट विलियम कॉलेज' की स्थापना की, कुछ कारणों से इसे 1802 ई. में बंद कर दिया गया। 1813 ई. के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई, जिसको भारत में साहित्य के पुनरुद्धार तथा विकास के लिए और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च करने की व्यवस्था थी, इसी क्रम में राजा राममोहन राय,

डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट के संयुक्त प्रयासों से सन् 1817 ई. में हिन्दू कॉलेज की स्थापना की गई। डेविड हेयर ने शिक्षा के प्रसार की एक नयी पद्धति विकसित की, जिसमें संस्कृत और अरबी के बजाय बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि डेविड हेयर ने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की।

थॉमसन के प्रयास – थॉमसन ने (1843-53) ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले छोटे-छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया। एक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। गांव के स्कूल में कृषि विज्ञान तथा क्षेत्रमिती जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। इस शिक्षा के लिए माध्यम देशी भाषा को चुना गया। इसका उद्देश्य नवगठित राजस्व एवं लोक निर्माण के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध करना था।

शिक्षा का अधोमुखी निसयंदन सिद्धांत – शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए, इस वर्ग के शिक्षित होने पर शिक्षा का प्रभाव छन-छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगा। शिक्षा के अधोमुखी निसयंदन सिद्धांत का वस्तुतः यही अर्थ था। इस सिद्धांत का क्रियान्वयन सरकारी नीति के रूप में लार्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। बहरहाल मैकाले ने भी इसी सिद्धांत पर कार्य किया था। सन् 1854 ई. से पूर्व उच्च शिक्षा के विकास की गति काफी धीमी थी। लार्ड ऑकलैंड ने बंगाल को 9 भागों में बांटा और प्रत्येक जिले में विद्यालय स्थापित हो चुके थे, सन् 1835ई. में लार्ड विलियम बैंटिक के कार्यकाल में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गयी और सन् 1851 ई. में पूना संस्कृत कॉलेज तथा पूना अंग्रेजी स्कूल को मिलाकर पूना कॉलेज बनाया गया। संयुक्त प्रांत के लेटिनेट गवर्नर जेम्स टामसन ने सन् 1847 ई. रूडकी इंजीनियरिंग कॉलेज



की स्थापना की। इसे आज भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। इसे आज भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। इसे आज भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में जाना जाता है। शिक्षा का वुड का घोषणा पत्र, 1854 – भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। इस घोषणा पत्र को 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है।

वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं-

- उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और जनसाधारण की शिक्षा का माध्यम देशी भाषा।
 - शिक्षा क्षेत्र में निजी उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जाए
 - पाश्चत्य शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार हो।
 - लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जायें जिनका कार्य केवल परीक्षा लेना हो।
 - तकनीकी विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए जाए।
 - अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो तथा महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए।
 - हर प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए।
 - सरकारी शिक्षा का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष हो।
- वुड के घोषणा पत्र के सुझाव पर सन् 1855 ई. में पांच प्रांतों बंगाल, बम्बई, मद्रास, पंजाब और उ.प्र. सीमा प्रांत में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया तथा सन् 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वुड का घोषणा पत्र मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा से ही संबंध रखता था।

हन्टर शिक्षा आयोग – चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ई. में सरकार ने डब्लू हन्टर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की, इस आयोग में 8 सदस्य भारतीय थे। आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया था। आयोग के मुख्य सुझाव इस प्रकार थे-

- प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नवसंस्थापित नगर और जिला बोर्डों को दिया जाना चाहिए।
- सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर विशेष ध्यान देना चाहिए और यह शिक्षा उपयोगी विषयों पर

स्थानीय भाषा में होनी चाहिए।

- प्राथमिक शिक्षा के दो खंड होना चाहिए- साहित्यिक विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए व्यावहारिक-व्यवसायिक भविष्य निर्माण के लिए आयोग ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया।

विश्वविद्यालय आयोग व अधिनियम – जब लार्ड कर्जन भारत के वायसराय बने तो उन्होंने लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 'मैकाले की नीति देशी भाषाओं के विरुद्ध है।' सितम्बर 1801 ई. में कर्जन ने एक सम्मेलन बुलाया जहाँ उसने भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की बात कही। 1902 ई. में कर्जन ने सर टॉमस रो की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ई. में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ जिसकी सिफारिश इस प्रकार थी-

- विश्वविद्यालयों को अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु प्रोफेसर और लेक्चररों की नियुक्ति करनी चाहिए।
- प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों की स्थापना के साथ विद्यार्थियों में उप-सदस्यों की संख्या कम से कम 50 एवं अधिकतम 100 होनी चाहिए और इन सदस्यों को सरकार मनोनीत करेगी।
- उप-सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होना चाहिए। इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया।

सैडलर आयोग – 1917 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम.इ. सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग में दो भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ-साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया। आयोग ने 1904 ई. के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में निंदा किया। आयोग के मुख्य सुझाव थे-

- इंटर व उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा मानना चाहिए।
- स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए।
- ऐसी शिक्षण संस्थायें स्थापित करने का सुझाव दिया गया, जो इण्टरमीडिएट-महाविद्यालय कहलाये। ये महाविद्यालय चाहे तो स्वतंत्र रहे या फिर हाईस्कूल से संबद्ध हो जाए।

द्वैध शासन व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा – माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अन्तर्गत शिक्षा विभाग को प्रांतों



एवं लोक निर्वाचित मंत्री के अधीन दे दिया गया। केन्द्र सरकार ने अपने को शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त करते हुए शिक्षा के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय अनुदान व्यवस्था को बंद कर दिया। इससे प्रांतीय सरकारों को शिक्षा हेतु अधिक धन उपलब्ध कराने में परेशानी हुई।

हार्टोग समिति – 1929 ई0 में 'भारतीय परिनीति आयोग' ने सर फिलिप हार्टोग के नेतृत्व में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट हेतु एक सहायक समिति का गठन किया गया। समिति ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व की बात की। माध्यमिक शिक्षा के बारे में आयोग ने मैट्रिक स्तर पर विशेष बल दिया। ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों को आयोग ने वर्नाक्यूलर मिडिल स्तर के स्कूल पर ही रोक कर उन्हें व्यवसायिक या फिर औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया।

वर्धा आयोग – 1935 के 'भारत सरकार अधिनियम' के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति समाप्त हो गयी। 1937 ई. में गांधीजी ने अपने हरिजन के अंकों में शिक्षा पर योजना प्रस्तुत की, जिसे ही 'वर्धा योजना' कहा गया। इस योजना के अन्तर्गत गांधी जी ने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं प्रशासन का सुझाव दिया। योजना में सर्वाधिक महत्व हस्त उत्पादन कार्यों को दिया गया, जिसके द्वारा अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था किये जाने की योजना थी।

सार्जेण्ट योजना – 1944 ई. में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल' ने सार्जेण्ट योजना के नाम से एक 'राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत किया। योजना के अनुसार

प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने तथा 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की। 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम था। दो प्रकार के उच्च विद्यालय, एक विद्या विषयक और दूसरा तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिए योजना में शामिल थे। इस योजना में इण्टरमीडिएट श्रेणी को समाप्त करने की व्यवस्था थी और 40 वर्ष के अंदर ही शिक्षा के पुनर्निर्माण कार्य को अंतिम रूप देना था, पर 'खेर समिति' ने इस समय सीमा को घटाकर 16 वर्ष कर दिया।

सार्जेण्ट योजना के बाद 15 अगस्त 1907 को भारत स्वतंत्र हो गया, इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जगदीश चन्द्र – ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा।
2. के.के. चटर्जी – इंग्लिश एजुकेशन इन इण्डिया।
3. एस.सी. घोष – एजुकेशन पॉलिसी इन इण्डिया सिन्स वारेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता 1989
4. जे. घोष – हायर एजुकेशन इन बंगाल अण्डर ब्रिटिश
5. डा. दुर्गा दास वसु – भारत का संविधान: एक परिचय
6. पूजा शर्मा – भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास
